

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Appeal Case No.- 63/2024]

Kanhaiya KamatAppellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>20.8.2025</u>	आदेश यह जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद न्यायालय, अपर समाहर्ता -सह- अपर जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-323/2022 में दिनांक-22.2.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-9 के उपधारा-6(क) में अंकित है कि “An Appeal against the order of the Additional Collector shall lie with the Collector of the district within thirty (30) days of the order appealed against.” उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। <u>Raj L.</u> <u>20/8/2025.</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। <u>Raj L.</u> <u>20/8/2025</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

